

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियमो पर

सार्वजनिक सूचना

क्रमिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के.ज्ञ.सं.एवी.14017/61/2008 - ईस्ट (आर आर) के अनुपालन में, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिए प्रारूप भर्ती नियम संगलन है।

प्रारूप भर्ती नियमो पर आपत्ति / टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक व्यक्ति (स्टेक होल्डर्स) अपनी आपत्ति / टिप्पणी या सुझाव इन प्रारूप भर्ती नियमो के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदर लिखित रूप में श्री अजय कुमार केपी, सलाहकार (मेन्टल हेल्थ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा नं 407 - ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली - 110108 या ई-मेल पते : ajaya59@gmail.com पर भेज सकते हैं।



(अजय कुमार केपी),

सलाहकार (मेन्टल हेल्थ)

टेलीफोन - 011 -23062870

नई दिल्ली

दिनांक: 6/9/2019

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2019

सा.का.नि. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और मनोरोग अस्पताल, रांची (श्रेणी III और श्रेणी IV पदों पर भर्ती) नियम, 1959 को, जहां तक उसका संबंध पुस्तकाध्यक्ष के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में पुस्तकाध्यक्ष के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, कांके, रांची, पुस्तकाध्यक्ष (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

परन्तु मीथी भर्ती किये जाने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा, केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार शिथिल की जा सकती है।

5. निरर्हता: वह व्यक्ति-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और मंत्र लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7.

ब्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालयध्यक्ष	1* (2019) **कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अगजपत्रित, अननुमचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये)	लागू नहीं होता।	18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी, न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा;	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी, - (क) जो नियमित आधार पर संदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, गंची - अध्यक्ष; 2. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, गंची - सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय मनःचिकित्सा संस्थान, गंची - सदस्य 	लागू नहीं होता ।